बिहार सरकार

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2547448

संचिका संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018 (भाग–2) 343 दिनांक– 29.04.2025

नियोजन हेतु विज्ञापन–03/2025

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित **"लीड एजेन्सी"** के लिए **Executive Officer** के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में **आवेदन पत्र** आमंत्रित किए जाते हैं :–

पद का नाम	पद की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.05.2025 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव	जॉब डिस्क्रिप्शन
1	2	3	4	5	6
Executive Officer (कार्यपालक पदाधिकारी)	1 (अनारक्षित)	अन्य उम्मीदवार हेतु रू0 80,000/– (नियत) (अस्सी हजार) सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों के अनुरूप	अन्य उम्मीदवार हेतु–55 वर्ष सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी हेतु–62 वर्ष	**For Other Candidates:** • Graduate in any Engineering discipline with Full Time Regular MBA/PGDM. **AND** • Not less than 10 years of Post Qualification Experience in senior administrative and managerial position or similar position in reputed organization. **OR** **Retired Government Employees:** Retired Officers of **Bihar Administrative Services / Bihar Engineering Services** having experience of working in Road / Road Safety/ Transport or any other Infrastructure Department or any Projects Financed by External Donor Agencies. Those retired as officers of Bihar Administrative Service shall have retired in the Rank & Pay of Deputy Secretary or above. Those retiring from Bihar Engineering Service shall have retired in the Rank & Pay of Superintending Engineer or above. **(The Educational Qualification Criteria does not apply to Retired Govt. Officers).**	• Total Supervision of administration, Policy matters, Personnel matters Legal, Public Relations. • To Coordinate Between Stakeholder Dept. related to Road Safety. • Providing Leadership To the functioning of Lead Agency.

शर्तें– विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के विवरण तथा नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी **विभागीय वेबसाइट** https://state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध है।

2. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. कार्य अनुभव की गणना दिनांक–01.05.2025 के आधार पर की जायेगी।
4. आवेदन पत्र समर्पित करने की **अंतिम तिथि** 30.5.25 **को अपराह्न 06.00 बजे** तक है। आवेदन पत्र स्वंय जमा करायें या रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट से भेजें। **अन्तिम तिथि एवं समय** के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

28/4/25

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2547448
विज्ञापन संख्या–03/2025

Photo

1. आवेदक का नामः–..
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–..
3. स्थायी पताः–..
....
4. पत्राचार का पताः–...
....
5. मोबाईल नं0ः–...ई–मेल आई.डी...
6. जन्म तिथिः–...दिनांक 01.05.2025 को उम्रः–...
7. आरक्षण कोटिः–...
8. शैक्षणिक योग्यताः–...
9. तकनीकी योग्यताः–..
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं)ः–..
11. कुल/पूर्व अनुभव (अवधि सहित A4 पेपर पर अलग से संलग्न करें)ः–.........वर्ष...............माह............दिन
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो तो)ः–..
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरणः–.......................................
....
14. लंबित विभागीय कार्यवाहीः–...
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरणः–.......................................
....
16. कार्य अनुभव का ब्यौरा दिनांक–01.05.2025 तक (अवधि का स्पष्ट उल्लेख तिथि सहित)ः–........................
....

(नोटः–सभी प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक एवं अनुभव) की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

घोषणा

मैं...यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इनकें गलत पाए जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

नियोजन हेतु सामान्य शर्तेः—

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवानिवृत सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायेगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई अलग आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

28/4/15

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।